समक्ष राजीव नरेन रैना, जज

परमिन्द्र सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

दी न्यू इंडिया इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड-उत्तरवादी

सी.आर. नम्बर 555 ऑफ़ 2020

जनवरी 27, 2020

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- बढ़ा हुआ मुआवजा जारी करने पर न्यायिक रोक-ट्रिब्यूनल द्वारा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाए गए फैसले को पारित करना-ट्रिब्यूनल के समक्ष बीमा कंपनी द्वारा पूरा मुआवजा जमा करना-शेष राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उचित उद्देश्य पूरा नहीं किया गया है उल्लेख किया गया-चुनौती दी गई-माना गया, पैसे तक पहुंच के बिना केवल जमा करना याचिकाकर्ता के लिए अच्छा नहीं है-पूर्व शर्त लगाकर न्यायनिर्णित दावे को जारी न करना ट्रिब्यूनल पर लगाए गए कर्तव्य के त्याग के बराबर है-ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को यह सलाह देना नहीं है कि किसी के पैसे का उपयोग कैसे किया जाए खर्च किया जाए-ट्रिब्यूनल को केवल यह संतुष्ट करना होगा कि दावेदार को दी गई राशि का भुगतान बीमाकर्ता को दोहरे भुगतान से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति योग्य है-याचिका स्वीकार की गई !

माना गया कि, इन उदाहरणों का उद्देश्य ट्रिब्यूनल को यह विश्वास दिलाना है कि एक निश्चित अवधि तक मुआवजा जारी करने पर शर्तें लगाने से चल संपत्ति के मूल मालिक के रूप में दावेदार को कठिनाई होती है, यह मानते हुए कि जो जारी किया गया है उस पर न्यायिक रोक नहीं लगाई जा सकती है ! ट्रिब्यूनल द्वारा उसे अनुमति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पुष्टि की गई है !

(पैरा 9)

इसके अलावा यह माना गया कि, याचिकाकर्ता को न्यायनिर्णित दावा जारी न करना और इसे निष्पादन कार्यवाही में ट्रिब्यूनल पर लगाए गए कर्तव्य को त्यागने के एक अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत पूरा करने के लिए कहा जाता है और बिना कोई पूर्व शर्त लगाए या बिना मुआवजे के अधिकार को स्थगित किए !

(पैरा 10)

इसके अलावा यह माना गया कि, यदि याचिकाकर्ता को एफडीआर में पड़ी राशि की आवश्यकता है तो समय से पहले राशि जारी करने के लिए एक अलग याचिका दायर करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर छोड़ कर ट्रिब्यूनल ने गंभीर गलती की है ! मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल का मतलब वास्तव में जरूरी था ! उसे याचिकाकर्ता से यह सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि यह उनकी या किसी और की निजी संपत्ति नहीं थी !

यह ट्रिब्यूनल का काम नहीं था. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता को कानून द्वारा कोई आवेदन दायर करने या यह स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी कि वह इस पैसे को कैसे खर्च करना चाहता है, अगर यह परिपक्वता से पहले उसके पक्ष में जारी किया जाता है !

(पैरा 11)

इसके अलावा यह माना गया कि, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है कि किसी का पैसा कैसे खर्च किया जाना चाहिए, भले ही खर्च की होड़ फिजूलखर्ची हो ! ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना आदेश के कारण, जिस पर आपत्ति जताई गई है, याचिकाकर्ता को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने में काफी समय और व्यय खर्च करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसे सही राशि जारी करके आसानी से टाला जा सकता था ! मालिक की पहचान के सत्यापन पर, बिना कोई प्रश्न

पूछे, यहां तक कि एक साधारण आवेदन पर भी, जो सौभाग्य से एफडीआर को तोड़ने के लिए ट्रिब्यूनल की ओर से अनुचित अनिच्छा के कारण शीर्ष अदालत में अपील समाप्त होने से पहले जमा करने का आदेश दिया गया था ! न्यायाधिकरण केवल स्वयं को संतुष्ट करने के लिए है कि दावेदार को दी गई राशि का भुगतान बीमाकर्ता को दोहरे भुगतान से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति योग्य है !

(पैरा 13)

शक्ति मेहता, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

राजीव नरेन रैना, जज, मौखिक

(1) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पंचकुला द्वारा दिए गए अपीलीय फैसले दिनांक 25.01.2013 में, दावेदार/याचिकाकर्ता ने चोटों के लिए राशी मुब्लिग़ 10,43,666/- रुपये का मुआवजा प्राप्त किया* [फुट नोट देखें (पैरा 15): अन्य लाभों की हानि जोकि दिनांक 29.03.2009 को हुई मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप "अन्य लाभ जो वादी को प्राप्त होते यदि वह घायल नहीं होता" ! दावेदार/याचिकाकर्ता ने 2014 के एफ.ए.ओ. नंबर 10473 को प्रस्तुत करके इस न्यायालय में वृद्धि के लिए अपील दायर की और 20.09.2017 को मुआवजा बढ़ाया गया और एम.ए.सी.टी., पंचकुला के आदेश को संशोधित किया गया, जिसमें कुल 21,06,000/ रुपये देने का निर्णय, जो पहले दिया उसको कम करके, किया है !

(2) अभी भी व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2019 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 23153 दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें छूट दे दी गई और याचिका 2019 की सिविल अपील संख्या 5123 में बदल दी गई ! सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले से और आदेश दिनांक 01.07.2019 ने पैरा में सारणीबद्ध विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजा देने की राशि बढ़ा दी है। निर्णय का पैर 6 जो इस प्रकार हैं:-

"6. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ता निम्नलिखित राशियों का हकदार है:-

(i) अपीलकर्ता की आय 10,000/- रुपये प्रतिमाह मानते हुए भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए 32,40,000/- रुपये दिए जाएंगे और भविष्य की संभावनाओं को 50% की दर से अनुदान देना;

(ii) 5 सर्जरी और चिकित्सा उपचार के लिए बार-बार अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा व्यय के लिए 7,50,000 रुपये दिए जाएंगे;

(iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय और परिचारक शुल्क के लिए 10,00,000/- रुपये दिए जाएंगे;

(iv) दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 9% ब्याज बरकरार रखा जाएगा

(3) सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजे का खामियाजा भुगतने के दायित्व से मुक्त करते हुए अपील में इस न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, क्योंकि यह साबित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कार्यालय से सबूत मांगे गए और पेश किए गए कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर, जो दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना उन वाहनों को चला रहे थे ! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रकों के मालिक और ड्राइवर सुप्रीम कोर्ट सहित कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित नहीं हुए ! अपील की अनुमति देते हुए पैरा 7.2 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार है:-

"7.2 हम प्रतिवादी-बीमा कंपनी को इस फैसले की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को उपरोक्त पैरा 6 में बताए अनुसार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित मानते हैं ! उत्तरवादी-बीमा कंपनी को अपीलकर्ता के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने का निर्देश दिया जाता है, जिसका उपयोग जीवन भर उसकी देखभाल के लिए किया जा

सकता है ! उत्तरवादी-बीमा कंपनी दो ट्रकों के मालिकों और ड्राइवरों से राशि वसूल करने की हकदार है !

(4) निर्विवाद रूप से, निर्णय अंतिम रूप ले चुका है और मुआवजा लगभग 50 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से 10,43,000/- रुपये बीमा पॉलिसी से अनुबंधित निर्णय देनदार बीमाकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा कर दिए गए हैं और वह राशि घायल दावेदार को वर्तमान और भविष्य में सामान्य जीवन की हानि के लिए वितरित कर दी गई है, यदि दुर्घटना नहीं हुई होती ! इस राशि को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बढ़े हुए मुआवजे की अंतिम गणना से घटाया जाना है और शेष राशि ब्याज के साथ देय है !

(5) शेष राशि की वसूली के लिए निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली इस पुनरीक्षण याचिका को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्राथमिकता दी गई है (कोई अन्य उपाय नहीं है) ! बीमा कंपनी द्वारा पूरा मुआवजा ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा कर दिया गया है ! शेष निर्णय राशि के संवितरण का प्रश्न इस अपील में एक शिकायत के रूप में लंबित भुगतान के रूप में बना हुआ है ! पैसे तक पहुंच के बिना केवल जमा करना याचिकाकर्ता के लिए अच्छा नहीं है ! उसे अब पैसों की जरूरत है. वकील का कहना है कि पैसे को किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता है, ताकि एक दिन, यह दावेदार के निधन के बाद उसकी विरासत संपत्ति का हिस्सा न बन जाए ! संक्षेप में यह सरल अनुरोध है ! लेकिन इसे रोकने में क्या बाधाएं हैं, तब भी जब ट्रिब्यूनल आदेश के अनुसार शेष राशि प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देता है?

(6) ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 16.122019 के आक्षेपित आदेश द्वारा अन्यथा माना है, यह मानते हुए कि आवेदन दिनांक 19.09.2019 (अनुलग्नक पी-4) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राशि के वितरण का दावा करते हुए दायर किया है, अपने आदेश दिनांक में अवलोकन करते हुए 15.10.2019, इस प्रकार:-

> "निर्धारित कानून का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायाधिकरण का विचार है कि निश्चित रूप से आवेदक/दावेदार को समय से पहले जारी की गई राशि प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उक्त उद्देश्य के लिए, उसे उस उद्देश्य का उल्लेख करते हुए उचित आवेदन देना होगा जिसके लिए राशि दी गई है, आवश्यक है और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आवेदक के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा !
>
> आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदन में एफडीआर को समय से पहले जारी करने की प्रार्थना नहीं की गई है, बल्कि यह निवेदन किया गया है कि मुआवजे की राशि दो साल के लिए एफडीआर में जमा करने की शर्त विद्वान द्वारा लगाई गई है। ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2013 पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए राशि एफडीआर में गलत तरीके से जमा की गई है ! रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मुआवजे की राशि एफडीआर में जमा करने के लिए कोई नई शर्त नहीं लगाई गई है, बल्कि निर्णय दिनांक 25.01.2013 में दिए गए निर्देशों के पालन में ही राशि 13.09.2019 को एफडीआर में जमा की गई है। , अतः उक्त एफडीआर 13.09.2019 को परिपक्व होगी !

इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान वकील ने इस बिंदु पर अन्य निर्णयों को पढ़ने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और आगे कहा कि वह उक्त निर्णयों के बाद दलीलों को संबोधित करेंगे !

अनुरोध पर, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 02.11.2019 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है !''

(7) यदि यह न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई तर्क-पद्धति है, तो इसे वापस विधि विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया की ओर जाना चाहिए ! उच्च न्यायालय मूर्खता का इलाज करने के लिए नहीं बैठता है और यह उम्मीद करता है कि उच्च न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी बेहतर काम करेंगे !

(8) इससे पता चलता है कि बीमाकर्ता कंपनी द्वारा दिनांक 13.09.2019 को एफडीआर में राशि जमा की गई है, जो 12.09.2021 को परिपक्वता के लिए गैरकानूनी रूप से तय की गई है, जैसे कि ट्रिब्यूनल एक नाबालिग के मामले से निपट रहा था ! जब याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित 12.09.2021 से पहले राशि जारी करने की अनिच्छा का सामना करना पड़ा, तो उसे 'इस बिंदु पर अन्य निर्णयों से गुजरने के लिए' [जिम्नी आदेश के अनुसार' और 'बाद में तर्कों को संबोधित करने' के लिए समय लेना पड़ा उक्त निर्णयों से गुजर रहा हूं' ! यदि बुनियादी कानून को समझने में असमर्थ एक जिद्दी न्यायाधिकरण ने उसे पत्थरबाज़ी में न फँसा दिया होता तो कोई भी वकील अपने होश में होते हुए ऐसा अनुरोध नहीं करता और फिर भी उसे निष्पादन योग्य डिक्री रखने वाले दावेदार के जोखिम के लिए, इसे संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है !

(9) जब मैंने श्री मेहता से, याचिकाकर्ता के लिए, उन निर्णयों के उद्धरण का खुलासा करने के लिए कहा, जिन पर वह निर्भर करता है [हालांकि ट्रिब्यूनल के समक्ष उद्धृत किया गया है, लेकिन निष्पादन कार्यवाही में उनके अनुपात के लिए इसके द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है या आवश्यक है, लेकिन बात सरल है पहले सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उन्होंने 2012 की सिविल अपील संख्या 1095 '***ए.वी. पदमा व अन्य बनाम आर. वेणुगोपाल व अन्य*** फैसला तिथि 27.01.2012 के साथ साथ ***रामेश्वर लाल व अन्य बनाम महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे***, तथा ***अंकुश मनरो बनाम बनाम राजिन्द्र सिंह व अन्य*** (सी.आर. नम्बर 1287 ऑफ़ 2013 (O&M), फैसला तिथि 26.022013 में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए निर्णय लिया जो अपने पैसे को बिना शर्त रिहाई की राहत का दावा करने के लिए जो उनके डिक्री से संबंधित है ! इन उदाहरणों का उद्देश्य ट्रिब्यूनल को यह विश्वास दिलाना है कि एक निश्चित अवधि तक मुआवजा जारी करने पर शर्तें लगाने से चल संपत्ति [धन] के मूल मालिक के रूप में दावेदारों को कठिनाई होती है, यह मानते हुए कि रिहाई पर न्यायिक रोक नहीं लगाई जा सकती है ! ट्रिब्यूनल द्वारा उसे जो दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पुष्टि की गई है ! मैंने इस विषय पर वकील के शोध को मान्यता देने के लिए इस विवाद को रिकॉर्ड किया है, हालाँकि निर्णय के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी !

(10) मैं याचिकाकर्ता को न्यायनिर्णित दावे को सक्रिय रूप से जारी न करने के पक्ष में नहीं हूं और इसे निष्पादन कार्यवाही में ट्रिब्यूनल पर लगाए गए कर्तव्य को त्यागने के एक अधिनियम के रूप में देखता हूं जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत और बिना किसी पूर्व शर्त के संतुष्ट करने के लिए किसी स्थगन के लिए उचित मुआवजे की शर्त लगाना या स्थगित करने के लिए कहा जाता है ! सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने के साथ ही बढ़े हुए मुआवजे के स्वामित्व का अधिकार याचिकाकर्ता को दे दिया गया !

(11) न्यायाधिकरण द्वारा कानून की गलतफहमी के कारण सोच की दिशा जटिल हो गई है ! अपने आदेश दिनांक 16.12.2019 में ट्रिब्यूनल ने अपने विचार के लिए रखे गए निर्णयों को देखे बिना भी जैसा कि पैरा 8 में देखा गया है], उसने एफडीआर में डाली गई शेष राशि जारी करने के आवेदन को बिना सोचे-समझे खारिज कर दिया है ! यह आधार अस्थिर है कि वकील ने "राशि जारी करने के लिए कोई आधार नहीं दिखाया है" यदि याचिकाकर्ता को एफडीआर में पड़ी राशि की आवश्यकता है तो समय से पहले राशि

जारी करने के लिए एक अलग याचिका दायर करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर छोड़ कर ट्रिब्यूनल ने गंभीर गलती की है ! मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल का मतलब वास्तव में जरूरी था ! उन्हें याचिकाकर्ता से यह सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि यह उनकी या किसी और की निजी संपत्ति नहीं थी ! यह ट्रिब्यूनल का काम नहीं था ! मेरे विचार में, यदि एफडीआर की परिपक्वता से पहले यह पैसा उसके पक्ष में जारी किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को कानून द्वारा कोई आवेदन दायर करने या यह स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी कि वह इस पैसे को कैसे खर्च करना चाहता है। उसे बस एक ही अनुरोध करना था - मुझे मेरे पैसे दो, मैं ही पीड़ित हूं, तुम नहीं !

(12) मुझे डर है कि ट्रिब्यूनल ने बैंक में पड़ी एफडीआर की परिपक्वता की भविष्य की घटना के लिए याचिकाकर्ता के अधिकारों को स्थगित करते हुए विकृत आदेश पारित करने में ईमानदारी की पूरी कमी दिखाई है, भले ही उसके पास पैसे का अधिकार था ! वह तिथि जब बीमा कंपनी द्वारा 13.09.2019 को जमा किया गया था और कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी कि बीमाकर्ता द्वारा राशि जमा की गई है या नहीं !

(13) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कोई वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो किसी व्यक्ति को यह सलाह दे कि उसका पैसा कैसे खर्च किया जाना चाहिए, भले ही खर्च की प्रवृत्ति फिजूलखर्ची हो ! ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना आदेश के कारण, जिस पर आपत्ति जताई गई है, याचिकाकर्ता को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने में काफी समय और व्यय खर्च करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसे सही राशि जारी करके आसानी से

टाला जा सकता था ! मालिक की पहचान के सत्यापन पर, बिना कोई प्रश्न पूछे, यहां तक कि एक साधारण आवेदन पर भी, जो सौभाग्य से ट्रिब्यूनल की ओर से एफडीआर को तोड़ने के लिए एक अनुचित अनिच्छा के कारण अपील से पहले जमा करने का आदेश दिया गया था !

(14) उपरोक्त स्थिति प्राप्त करने के मद्देनजर, याचिका को पहली सुनवाई में स्वीकार किया जाता है और दिनांक 16.12.2019 (अनुलग्नक पी-5) को गैरकानूनी माना जाता है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है ! ट्रिब्यूनल को याचिकाकर्ता द्वारा कोई और आवेदन या अनुरोध प्राप्त किए बिना भी याचिकाकर्ता को बढ़ा हुआ मुआवजा तुरंत जारी करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उसकी पहचान के सत्यापन से पहले नहीं ! इसके लिए, पैन नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि [निष्पादन न्यायाधिकरण के विवेक पर] देखा जा सकता है और बीमाकर्ता द्वारा अपराधी वाहन के बीमाधारक को भुगतान के प्रमाण के रूप में एक प्रति फ़ाइल में रखी जा सकती है !

(15) फ़ुटनोट: [संदर्भ। उपरोक्त पैराग्राफ 1 में तारांकन चिह्न]: - मैकग्रेगर में नुकसान पर नियम (14 वां संस्करण) पैरा 1157 में देखें, व्यक्तिगत चोट कार्यों में नुकसान के प्रमुखों का जिक्र करते हुए, विद्वान लेखक ने निम्नानुसार बताया है:-

> "शारीरिक रूप से घायल व्यक्ति अपने आर्थिक नुकसान और गैर-आर्थिक नुकसान दोनों की भरपाई कर सकता है ! इनमें से आर्थिक नुकसान में दो अलग-अलग चीजें शामिल हैं, कमाई का नुकसान और [तस्वीर] अन्य लाभ जो वादी ने कमाए होते अगर उसने ऐसा नहीं किया होता घायल हो गया है और चोट के परिणामस्वरूप उसे चिकित्सा और अन्य खर्चों का सामना करना पड़ता है, और अदालतों ने गैर-आर्थिक नुकसान को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे दर्द और पीड़ा, जीवन की सुविधाओं की हानि और जीवन की उम्मीद की हानि, इसके अलावा, न्यायालय को यह याद रखने की सलाह दी जाती है कि इन सभी मामलों में क्षति के उपाय 'ऐसे होने चाहिए कि एक अत्याचारी भी यह कह सके कि उसने अपने दुस्साहस के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है ! लॉर्ड डेवलिन का अवलोकन कि समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण या एक परीक्षण अपनाना कि

समकालीन समाज क्या उचित राशि मानेगा, जैसे कि गलत काम करने वाले को 'अपने पड़ोसियों के बीच अपना सिर उठाकर उनकी सहमति से कहने की अनुमति देना' 'उसने उचित काम किया है', व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का आकलन करते समय न्यायालय द्वारा इसे ध्यान में रखना काफी उपयुक्त है।"

परमिन्द्र सिंह बनाम दी न्यू इंडिया इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड 391
(*राजीव नरेन रैना, जज*)

(16) नुकसान केवल क्षति का नहीं बल्कि घायल का भी होता है यदि वह घायल नहीं हुआ होता तो उसे कितना लाभ होता ! अंत में, मैं कहूंगा कि एम.ए.सी.टी. मुकदमेबाजी में शामिल सभी लोगों के लिए यह एक बुद्धिमान सबक है ! इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेजी जाएगी !

सुमाती जुंड

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नकी किया जा सकता है ! सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

सुनीता